छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 616/2008

1. श्रीमती रामायणी बाई, — *शिकायतकर्ता*
प्रदेशाध्यक्ष, छ0ग0 लक्ष्मी महिला मण्डल,
इंदिरा कालोनी, कसडोल,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *अनावेदक*
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, बिलाईगढ़,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 31 अक्टूबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्रीमती रामायणी बाई द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिलाईगढ़ के समक्ष दिनांक 19.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जो उनके पत्र दिनांक 04.06.2008 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, बिसनपुर की ओर जानकारी देने हेतु निर्देश के साथ भेजा गया, किन्तु समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.07.2008 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रारंभ में एक सप्ताह में जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण कराया जाकर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क देने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में सचिव द्वारा बताया गया कि बार–बार सूचना के बाद भी शिकायतकर्ता निरीक्षण करने हेतु उपस्थित नहीं हुये। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने बताया कि जब भी निरीक्षण हेतु गये तालाबंद मिला। अतः जन सूचना अधिकारी/सचिव को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 15.10.2009 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने केवल अनुपस्थिति का ही कारण बताया है। एक अन्य शिकायत प्रकरण क्रमांक 514/2009 में शिकायतकर्ता द्वारा यहीं जानकारी मॉगी गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा पत्र लिखकर दिया गया है कि निरीक्षण करने के बाद चाही गई जानकारी ले ली गई है और प्राप्त जानकारी से संतुष्ट है तथा बाद में उन्होंने समक्ष में भी प्राप्त जानकारी से संतुष्ट होना स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त स्थिति में अब शास्ति लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किन्तु भविष्य के लिए समयावधि में सूचना देने के कड़े निर्देश के साथ उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 200/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com